



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 2017/आषाढ़ 20, 1939

No. 276]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 2017/ ASADHA 20, 1939

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2017

आधार (नामांकन और अद्यतन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017

(2017 का संख्या 3)

सं. 13012/79/2017/विधि-यूआईडीएआई (2017 का संख्या 3).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 54 की उप-धारा (2) के उप-खंड (एन) और उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्वारा आधार (नामांकन और अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 2) में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) इन विनियमों को आधार (नामांकन और अद्यतन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 3) कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. आधार (नामांकन और अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 2) के विनियम 12ए में संशोधन.—

- i. शीर्षक में "एजेंसियों" शब्द को "संस्थाएं" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- ii. "अथवा एजेंसी" शब्दों को "अथवा एजेंसी अथवा किसी अनुसूचित बैंक अथवा किसी अन्य संस्था" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- iii. "किसी अन्य अधिनियम" शब्दों को "किसी अधिनियम" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ. अजय भूषण पाण्डेय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[सं. विज्ञापन-III/4/असाधारण/144/17]

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2017

**AADHAAR (ENROLMENT AND UPDATE) (THIRD AMENDMENT)
REGULATIONS, 2017**

(No. 3 of 2017)

No. 13012/79/2017/Legal-UIDAI (No. 3 of 2017).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-clause (n) of sub-section (2) of Section 54 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, the Unique Identification Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Aadhaar (Enrolment and Update) (Second Amendment) Regulations, 2017 (No. 2 of 2017), namely:—

1. Short title and commencement.—

- (1) These regulations may be called the Aadhaar (Enrolment and Update) (Third Amendment) Regulations, 2017 (No. 3 of 2017).
- (2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 12A of the Aadhaar (Enrolment and Update) (Second Amendment) Regulations, 2017 (No. 2 of 2017). —

- i. for the word “Agencies”, the word “Entities” shall be substituted in the heading;
- ii. for the words, “or agency”, the words “or agency or any Scheduled Bank or any other entity” shall be substituted;
- iii. for the words “any other Act”, the words “any Act” shall be substituted.

Dr. AJAY BHUSHAN PANDEY, Chief Executive Officer

[No. ADVT.-III/4/Exty./144/17]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL

Date: 2017.07.11 18:40:24 +05'30'